एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

सावधि जमा पर ब्याज से टीडीएस के बारे में जानकारी*

1. टीडीएस लागू दरों के अनुसार सावधि जमा पर भुगतान/चक्रवृद्धि ब्याज से काटा जाएगा।
2. आयकर कानून के अनुसार, भुगतान किए गए ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की जानी आवश्यक है:

अ) निवासी @ 10% के मामले में, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान/चक्रवृद्धि ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है।

आ) एक निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, कर @ 10% काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज 1,00,000 रुपये से अधिक है।

इ) यदि किसी निवासी द्वारा पैन प्रदान नहीं किया जाता है, तो कर @ 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा।

ई) यदि पैन निष्क्रिय है (पैन आधार से जुड़ा नहीं है) तो कर 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा।

उ) अनिवासी व्यक्तिगत जमा के मामले में, कर 31.20%** (एनआरओ सावधि जमा और बचत खाते के मामले में) काटा जाएगा;

*** कृपया ध्यान दें कि यह दर लागू अधिभार और उपकर के अधीन हो सकती है*

फॉर्म 121 के बारे में वैधानिक जानकारी (औपचारिक रूप से फॉर्म 15 जी / 15 एच के रूप में जाना जाता है)

1. 01.04.2026 से, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को एकल फॉर्म 121 से बदल दिया जाएगा.
2. यदि वरिष्ठ नागरिक (कंपनी और फर्म के अलावा) सहित ग्राहक भारत में कर निवासी है और आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393(6) के तहत सावधि जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए पात्र है, तो वह फॉर्म 121 में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।
3. यदि सावधि जमा पर ब्याज आय (भुगतान या चक्रवृद्धि) अधिकतम छूट सीमा (वरिष्ठ नागरिक के मामले में 12,00,000/- रुपये या वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिक के अलावा अन्य के मामले में 4,00,000/- रुपये) से अधिक है, तो फॉर्म 121 जमा करने पर भी टीडीएस काटा जाएगा।
4. यदि ग्राहक के पास निष्क्रिय पैन है (पैन आधार से जुड़ा नहीं है) तो फॉर्म 121 का लाभ नहीं दिया जाता है और टीडीएस @ 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा।
5. फॉर्म 121 में अलग-अलग घोषणाएं (जैसा कि ऊपर वर्णित पात्रता मानदंड के अधीन) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अधिमानतः वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सृजित नई सावधि जमाओं के लिए अलग से फॉर्म 121 जमा करना आवश्यक है।
6. फॉर्म 121 जमा करने से पहले काटा गया कर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सावधि जमाराशियों के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में फॉर्म जमा करें जो पहले के वर्षों में सृजित किए गए थे और चालू वर्ष के दौरान सृजित प्रत्येक नई सावधि जमा के समय जमा करें।
7. पैन प्रस्तुत किए बिना जमा किया गया फॉर्म 121 अमान्य होगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. ग्राहक को पिछले 2 वर्षों (यदि कोई हो) के लिए अपना आईटीआर विवरण (पावती संख्या और रिटर्न आय) घोषित करना होगा।

पैन के बारे में सूचना और वैधानिक जानकारी

1. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 262 और आयकर नियमों के नियम 159 के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि खोलने या कुल 5,00,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि खोलने के लिए पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए उचित क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सत्यापन के लिए मूल कार्ड के साथ पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें।
2. यदि ग्राहक द्वारा पैन प्रदान नहीं किया जाता है या प्रदान किया गया पैन गलत या अमान्य है, तो बैंक कर अधिकारियों द्वारा टीडीएस दावे को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

**उपरोक्त सभी जानकारी बैंक द्वारा पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है। यह दस्तावेज़ केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से है, कृपया अपने खाते में किसी भी स्पष्टीकरण या सटीक निहितार्थ के लिए शाखा प्रतिनिधि से संपर्क करें*